जेल में कैदी को गांजा देने जा रहा मुलाकाती गिरफ्तार

रांची. जेल में कैदी नौशाद को गांजा पहुंचाने जा रहा मुलाकाती मन्नौवर खान को चेकिंग के दौरान वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया. उसे गिरफ्तार कर खेलगांव पुलिस को सौंप दिया गया है. वह बालूमाथ का रहने वाला है. वह चार पुड़िया गांजा अन्य वस्तुओं के साथ छिपा कर अपने किसी कैदी को पहुंचाने जा रहा था. जब जेल में तैनात पुलिसकर्मियों ने उसकी जांच की, तो उसे गांजा के साथ पकड़ा गया. इस संबंध में हवलदार अनिल भुट कुमार के बयान पर खेलगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

हेल्थ केयर एंड आयुर्वेदिक ट्रस्ट के सभी अभियुक्त लापता

विशेष संवाददाता ▷ रांची

डेढ़ साल में पैसा चौगुना करने का लालच देकर ठगी करनेवाले सभी अभियुक्त लापता हैं. इस घोटाले का एक अभियुक्त अपने वकील के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी नोटिस ले रहा था. लेकिन राकेश कुमार पोद्दार नामक यह अभियुक्त भी लापता हो गया है. जबकि गोरखनाथ भगत और हेमंत कुमार सिन्हा पहले से ही लापता हैं.

इडी ने मेसर्स एमएसएस एंड हेल्थ केयर आयुर्वेदिक ट्रस्ट के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की. आरोपियों के खिलाफ जारी कार्रवाई के दौरान ट्रस्ट के बैंक खाते से 2.28 करोड़ रुपये जब्त किये गये. साथ ही जब्ती की कार्रवाई पर अंतिम सहमति के लिए दिल्ली स्थित एडजुकेटिंग अथॉरिटी में आवेदन दिया. इडी की ओर से दिये गये आवेदन में वर्णित तथ्यों के आधार पर एडजुकेटिंग अथॉरिटी ने अभियुक्तों को नोटिस जारी किया, ताकि उनका पक्ष भी सुना जा सके. पर अभियुक्त गोरखनाथ भगत, हेमंत कुमार पहले से ही लापता थे. हालांकि राकेश कुमार पोद्दार ने अथॉरिटी द्वारा जारी किये गये पहले नोटिस को अपने वकील के माध्यम से स्वीकार किया. लेकिन अथॉरिटी में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखा. इसके बाद अथॉरिटी ने उसे दूसरे मौका देते हुए फिर नोटिस जारी किया. पर अब पोद्दार भी लापता हो गये हैं और वकील के माध्यम से नोटिस नहीं ले रहे हैं. फिलहाल ट्रस्ट के सभी अभियुक्त लापता हैं.

डेढ़ साल में पैसा चौगुना करने का लालच देकर की थी ठगी

पहले ट्रस्ट बनाया, फिर सदस्य बनाकर लोगों से ठगे पैसे

गोरखनाथ भगत व अन्य ने मिल कर मेसर्स एमएसएस एंड हेल्थकेयर आयुर्वेदिक ट्रस्ट बनाया. इसके बाद लोगों को डेढ़ साल में ही पैसा चौगुना करने का झांसा देकर सदस्य बनाना शुरू किया. ट्रस्ट की सदस्यता के लिए हर व्यक्ति से 3000 रुपये लिये. साथ ही सदस्यों को डेढ़ साल बाद की तिथि का 2300 रुपये का चार चेक और 700 रुपये के आयुर्वेदिक दवाइयों के कूपन दिये. चेक व कूपन देने के बाद ट्रस्ट के पदाधिकारी फरार हो गये. इसके बाद सदस्यों ने इस जालसाजी के सिलसिले में थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी. बाद में इडी ने मनी लाउंड्रिंग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की.

अभियुक्तों का पता

- गोरखनाथ भगत, मकान नंबर-474, शिव मंदिर, जगन्नाथपुर, धुर्वा, रांची
- राकेश कुमार पोद्दार व मुकेश कुमार पोद्दार, 20/1- जनता फ्लैट, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, अरगोड़ा, रांची
- हेमंत कुमार सिन्हा, बी/852-सेक्टर-टू, धुर्वा, जगन्नाथपुर, रांची

नामकुम की हहाप पंचायत के बेड़ाडीह में हो रही थी खेती

20 एकड़ में लगी थी अफीम की फसल, पुलिस ने नष्ट की

वरीय संवाददाता ▷ रांची/नामकुम

नामकुम पुलिस ने शुक्रवार को हहाप पंचायत के बेड़ाडीह में लगभग 20 एकड़ जमीन पर लगी अफीम की फसल को नष्ट कर दिया. पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां गुपचुप तरीके से बड़े पैमाने पर पोस्ते की खेती हो रही है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गयी.

इधर, पुलिस के गांव में आने की खबर मिलते ही गांववाले फरार हो गये. पुलिस अंचल कार्यालय की मदद से खेती करने वालों को चिह्नित करने का प्रयास कर रही है. एएसपी अमित रेणु व थाना प्रभारी प्रवीण कुमार की अगुवाई में शुक्रवार को पुलिस ने यहां अभियान चलाकर फसल को नष्ट कर दिया. पुलिस ने बताया कि इस क्षेत्र में पहले भी पोस्ते की खेती होती रही है. यहां ग्रामीणों को पैसों का लालच देकर उनसे पोस्ते की खेती करवायी जाती है, जबकि पोस्ते की खेती करवाने से लेकर अफीम निकाले जाने तक व उसे बाजार तक ले जाने में बाहर के लोगों की मुख्य भूमिका होती है. पुलिस के अनुसार अभी कई अन्य जगहों में भी खेती की जानकारी प्राप्त हुई है, जहां एक-दो दिन में कार्रवाई कर पोस्ते की फसल को नष्ट कर दिया जायेगा.

पुलिस के आने की खबर मिलते ही गांववाले हुए फरार

नामकुम की हहाप पंचायत के बेड़ाडीह में लगी अफीम की फसल को नष्ट करती पुलिस.

दूसरी फसलों के बीच में हो रही थी पोस्ते की खेती

दूर से पोस्ते के खेत चिह्नित न हो सकें, इसके लिए बड़ी चालाकी से अन्य फसलों को खेत के किनारे लगाया गया था जबकि बीच में पोस्ते की खेती की जा रही थी. फरवरी के अंतिम सप्ताह तक यह फसल तैयार हो जाती. इसके बाद इनमें चीरा लगाकर गोंद नुमा अफीम निकाला जाता. उसके पहले ही पुलिस को इसकी जानकारी मिल गयी और पुलिस ने फसल नष्ट कर दिया.

शराब की अधिक बोतल देने से इनकार किया, तो कर दी हवाई फायरिंग

वरीय संवाददाता ▷ रांची

- कांके रोड स्थित एक शादी कार्यक्रम में शामिल होने आये लोग पहुंचे थे शराब लेने
- **अरगोड़ा चौक के समीप स्थित शराब दुकान के पास हुई घटना**
- पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही फायरिंग करनेवाले हुए फरार

अरगोड़ा चौक के समीप स्थित शराब दुकान के कर्मियों ने जब शराब की अधिक बोतल देने से इनकार कर दिया, तब शराब लेने पहुंचे लोगों में से एक व्यक्ति ने हवाई फायरिंग कर दी. घटना के बाद आसपास के लोग इधर-उधर भागने लगे. सूचना मिलने पर हटिया डीएसपी विनोद रवानी, अरगोड़ा थाना प्रभारी वेंकटेश कुमार सहित अन्य लोग वहां पहुंचे और मामले की जांच की. लेकिन इससे पहले फायरिंग करने वाले वहां से भाग निकले.

पुलिस के अनुसार चक्रधरपुर के नगर परिषद के अध्यक्ष के बेटे अजय प्रसाद की शादी कांके रोड में हो रही थी. उसी बारात में शामिल होने कुछ लोग स्कॉर्पियो से पहुंचे थे. स्कॉर्पियो में सवार कुछ लोग शुक्रवार की शाम करीब 5.45 बजे शराब दुकान पर पहुंचे और सात से आठ बोतल शराब की मांग करने लगे. इस पर दुकान के कर्मियों ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इतनी अधिक मात्रा में शराब की बोतल वे किसी को नहीं दे सकते हैं. इसके बाद उन लोगों ने कर्मियों पर रौब जमाने का प्रयास किया. कर्मियों ने उनसे कहा कि वे किसी को तीन-चार बोतल से अधिक शराब नहीं दे सकते. तब शराब खरीदने पहुंचे एक व्यक्ति ने फायरिंग कर दी. पुलिस के अनुसार स्कॉर्पियो वाहन को कांके रोड में लोकेट कर लिया गया है. उनकी गाड़ी कांके रोड स्थित हॉलीडे होम के बाहर खड़ी मिली. उसमें सवार लोगों के बारे में जानकारी एकत्र कर कार्रवाई की जायेगी.पुलिस यह भी पता लगा रही है कि गोली लाइसेंसी हथियार से चली थी या अवैध हथियार से.

मुक्त होने पर रांची पहुंचा अभिकर्ता पुलिस नहीं कर सकी पूछताछ

वरीय संवाददाता ▷ रांची

- बीपी हाई होने के कारण इलाज के लिए अस्पताल में हुए भर्ती
- **तबीयत ठीक होने पर पुलिस करेगी पूछताछ**
- पत्नी ने लापता होने का दर्ज कराया था सनहा

बिरसा चौक में किराये पर रहनेवाले जीवन बीमा के अभिकर्ता संजय कुमार सिंह का 13 जनवरी को अपहरण हो गया था. गुरुवार को वह दिघवारा से मुक्त हुए. उसे लेकर जगन्नाथपुर पुलिस रांची पहुंची. लेकिन बीपी हाई होने के कारण उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया.

जगन्नाथपुर थाना प्रभारी अनूप कुमार कर्मकार ने कहा कि तबीयत ठीक होने के बाद संजय कुमार सिंह से पूछताछ की जायेगी. इधर, जानकारी के अनुसार 15 जनवरी को संजय कुमार सिंह की पत्नी प्रियदर्शनी ने जगन्नाथपुर थाना में उनके लापता होने का सनहा दर्ज कराया था. उसके बाद संजय कुमार सिंह के मोबाइल पर पुलिस ने फोन किया, तो उसने कहा कि उसका अपहरण हो गया है और उसे बुंडू के जंगल में रखा गया है, जबकि उस समय उसका मोबाइल का लोकेशन पटना का दानापुर बता रहा था. संजय कुमार सिंह भी वहीं के रहनेवाले हैं. दो दिनों बाद दानापुर से पांच किलोमीटर दूर दिघवारा में अपहरणकर्ता उसे मुक्त कर देते हैं. मोबाइल लोकेशन व संजय कुमार सिंह की बात दोनों विरोधाभासी है. इसकी जांच पुलिस कर रही है. संजय कुमार सिंह की तबीयत ठीक होने के बाद ही पूछताछ के बाद पूरा मामला साफ हो पायेगा.

मांगों को लेकर होमगार्ड का धरना जारी

रांची. तीन सूत्री मांगों को लेकर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का विधानसभा के समक्ष धरना-प्रदर्शन शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा. एसोसिएशन के महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने कहा कि जब तक उनकी तीन सूत्री मांगों का समाधान नहीं होता है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा. धरना के दौरान भाजपा के बरकट्ठा विधायक सह आवास बोर्ड के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जगन्नाथ महतो व सीपीआइएमएल के विधायक राजकुमार यादव से झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बातचीत हुई. जानकी यादव ने होमगार्ड जवानों की तीन सूत्री मांगों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास से एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कराने का आश्वासन दिया. राजकुमार यादव और जगन्नाथ महतो ने एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि वे उनकी मांगों को विधानसभा में उठायेंगे.

रांची, रामगढ़ व हजारीबाग में भोला पांडेय और श्रीवास्तव गिरोह के बीच गैंगवार की आशंका

अमन तिवारी ▷ रांची

- खुफिया विभाग से मिली सूचना के आधार पर पुलिस अधिकारियों ने तैयार की रिपोर्ट
- दोनों गिरोह से जुड़े बड़े अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने का दिया निर्देश

रांची के खलारी, रामगढ़ व हजारीबाग के कुछ स्थानों पर भोला पांडेय गिरोह और सुशील श्रीवास्तव गिरोह के बीच गैंगवार की आशंका बढ़ी है. पुलिस अधिकारियों ने खुफिया विभाग से मिली सूचना के आधार पर इससे संबंधित रिपोर्ट तैयार की है. रिपोर्ट के अनुसार अमन श्रीवास्तव गिरोह के रियाज अंसारी, अमरेंद्र तिवारी और रउफ अंसारी के जेल से बाहर आने के बाद पुनः नये सिरे से अमन श्रीवास्तव एवं विकास तिवारी गिरोह के बीच हिंसा-प्रतिहिंसा बढ़ती जा रही है. यह हिंसा-प्रतिहिंसा मूल रूप से पतरातू, बड़काकाना, भुरकुंडा, बड़कागांव, उरीमारी और रांची के खलारी तथा आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में होने की संभावना है. ऐसी परिस्थिति में यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि विकास तिवारी गिरोह की निशि पांडेय जो पूर्व में गिरोह के सरगना मृत किशोर पांडेय की पत्नी है, वह अपराध की आड़ में सामाजिक सरोकार को आगे बढ़ा रही है. ऐसी परिस्थिति में नये सिरे से व्यावसायिक, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को आपराधिक आयाम दिये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधिकारियों ने दोनों गिरोह के प्रमुख अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए कार्रवाई का निर्देश अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिया है.

पूर्व से होता रहा है दोनों गिरोह के बीच गैंगवार : 18 दिसंबर को उरीमारी डीएवी स्कूल मोड़ के पास अपराधियों ने सयाल पोड़ा निवासी संजीव सिंह बघेल की गोली मार कर हत्या कर दी थी. संजीव सिंह बघेल पांडेय गिरोह का समर्थक रहा था. इस वजह से उसकी हत्या के पीछे श्रीवास्तव गुट पर संदेह जाहिर हुआ. इससे पूर्व श्रीवास्तव गिरोह के शूटरों द्वारा नगड़ी रेलवे क्रॉसिंग के समीप पांडेय गिरोह के एक समर्थक की हत्या की जानी थी. लेकिन शूटरों ने गलत पहचान पर भाजपा के एक नेता की हत्या कर दी. इसके पहले भी दोनों गिरोह के बीच विभिन्न स्थानों में गैंगवार होती रही है. गैंगवार के कारण ही पूर्व में सुशील श्रीवास्तव और किशोर पांडेय सहित अन्य लोगों की हत्या हो चुकी है.

जेल में बंद अपराधी दीपक साव मांग रहा था रंगदारी, केस दर्ज

वरीय संवाददाता ▷ रांची

होटवार जेल में बंद दीपक साव नामक अपराधी के खिलाफ रंगदारी मांगने के आरोप में सदर थाना में केस दर्ज हुआ है. केस सदर थाना प्रभारी दयानंद कुमार की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार सदर थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि दीपक साव नामक अपराधी सदर थाना क्षेत्र के कुछ व्यवसायियों को रंगदारी के लिए धमकी दे रहा है. जब पुलिस ने तकनीकी शाखा के सहयोग से मामले की जांच की, तब पाया कि दीपक कुमार साव राजस्थान के नाम और पते पर जारी सिम कार्ड का प्रयोग कर रंगदारी मांग रहा है. दीपक कुमार साव द्वारा रंगदारी के लिए फोन किये जाने से कुछ व्यवसायी भी डरे हुए हैं. जानकारी के अनुसार दीपक कुमार साव बंधगाड़ी का रहनेवाला है. उसने पूर्व में लूट व छिनतई की चार घटनाओं को अंजाम सदर थाना इलाके में दिया था. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उसके साथ घटना को अंजाम देने में शामिल कुछ अन्य अपराधी भी पकड़े गये थे. उसके खिलाफ पूर्व में सीसीए की अनुशंसा भी की गयी थी.

नशीले पदार्थ की तस्करी मामले में गवाही दर्ज

रांची. एजेसी राजीव आनंद की अदालत में नशीले पदार्थ (गांजा) की तस्करी मामले में खुफिया विभाग के अधिकारी मनोज चौहान की गवाही दर्ज की गयी. इस मामले में जब्त 38 किलो गांजा को अदालत में प्रस्तुत किया गया. गौरतलब है कि 12 नवंबर 2017 को मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने टाटीसिल्वे निवासी दिलीप कुमार के घर से 38 किलो गांजा बरामद किया था. बरामद गांजा की कीमत दो लाख रुपये आंकी गयी है. मामले में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मामले में दिलीप कुमार के अलावा नरेंद्र कुमार एवं जितेंद्र सिंह नामक आरोपी भी ट्रायल फेस कर रहा है.

फैशन हब में चोरी, कैमरा-कपड़ा ले गये चोर

- लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी

वरीय संवाददाता ▷ रांची

प्लाजा सिनेमा हॉल के समीप स्थित फैशन हब नामक कपड़ा दुकान में गुरुवार की रात शटर का ताला तोड़ कर चोरी की गयी. चोर दुकान से पांच हजार रुपये नकद, 25 हजार का कैमरा, डीवीआर व लगभग दो लाख रुपये मूल्य के कपड़े ले गये. इस संबंध में दुकान संचालक विक्रांत कुमार ने लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है. इस दुकान को भाजपा नेता राहुल चौधरी और विक्रांत संयुक्त रूप से संचालित करते हैं. राहुल चौधरी ने बताया कि गुरुवार रात 10 बजे रातू रोड के इंद्रपुरी निवासी विक्रांत कुमार दुकान बंद कर गये थे. शुक्रवार की सुबह 11 बजे जब दुकान खोलने आये, तो देखा कि शटर का ताला टूटा हुआ है. उन्हें समझते देर नहीं लगी कि दुकान में चोरी हुई है. अंदर जाकर देखा, तो दुकान का सारा सामान बिखरा हुआ था. काउंटर टूटा था. काउंटर में रखे पांच हजार रुपये गायब थे. दुकान में लगा सीसीटीवी कैमरा, मॉनिटर व डीवीआर भी गायब था. दुकान के महंगे कपड़े पर चोरों ने हाथ मारा है. अभी दुकान में सेल भी लगी हुई है, जिस कारण कपड़ों का स्टॉक भी अधिक था.

चोरों ने दुकान के अंदर रखा दराज का लॉक व दुकान के शटर का ताला तोड़ घटना को दिया अंजाम.

सुनवाई • रांची, धनबाद, जमशेदपुर व बोकारो में मेडिकल कचरा के उचित निष्पादन के मामले में हाइकोर्ट ने सरकार से पूछा

उचित तरीके से बायो मेडिकल कचरे का निष्पादन हो रहा है या नहीं

➲ राज्य के सभी सिविल सर्जनों से रिपोर्ट मांगी

वरीय संवाददाता ▷ रांची

झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को रांची, धनबाद, जमशेदपुर व बोकारो में मेडिकल कचरा के उचित निष्पादन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एंड हैंडलिंग रूल्स व इनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का अनुपालन हो रहा है या नहीं. मेडिकल कचरे के निष्पादन की दिशा में क्या कार्रवाई की गयी है, उससे संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने सरकार के माध्यम से राज्य के सभी सिविल सर्जनों से अस्पताल व नर्सिंग होम से निकलनेवाले मेडिकल कचरे का निष्पादन नियमों के तहत तथा साइंटिफिक तरीके से हो रहा है या नहीं, इसकी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने पांच अप्रैल की तिथि निर्धारित की.

इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि नियमों के तहत मेडिकल कचरे का उठाव व निष्पादन किया जा रहा है. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता समावेश भंजदेव ने सरकार की दलील का विरोध करते हुए कहा कि मेडिकल कचरे के निष्पादन में नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड ह्यूमन राइट्स कांफ्रेंस की ओर से जनहित याचिका दायर कर मेडिकल कचरे के निष्पादन के लिए सरकार को उचित आदेश देने का आग्रह किया गया है.

सेटेलाइट सर्वे कर पलामू के वाटर बॉडीज की सूची सौंपे सरकार

➲ मामला पलामू में डोभा निर्माण में गड़बड़ी का

रांची. झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को पलामू जिले में डोभा निर्माण में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को पलामू जिले की प्रखंडवार वाटर बॉडीज की सूची सौंपने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने कहा कि सेटेलाइट सर्वे कराया जाये. इसके लिए एजेंसी का चयन कर वाटर बॉडीज का सेटेलाइट इमेजिन कराया जाये. सर्वे के आधार पर प्रखंडवार सूची कोर्ट में प्रस्तुत की जाये. खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए एक मार्च की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रामसुभग सिंह ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि पलामू जिले में डोभा निर्माण में गड़बड़ी की गयी है. कई जगहों पर डोभा का निर्माण कराये बिना ही राशि की निकासी कर ली गयी. उन्होंने मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने का आग्रह किया. वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता धनंजय कुमार दुबे ने पक्ष रखा. पलामू के उपायुक्त की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया कि जांच करायी गयी है. जांच के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुरेंद्र कुमार पासवान ने जनहित याचिका दायर की है.

ब्रीफ न्यूज

अग्निशामालय का उदघाटन करते होमगार्ड के डीजी बीबी प्रधान.

आड्रे हाउस में अग्निशामालय का उदघाटन

रांची. आड्रे हाउस स्थित नवनिर्मित अग्निशामालय का उद्घाटन शुक्रवार को होमगार्ड के डीजी सह अग्निशमन के महासमादेष्टा बीबी प्रधान ने किया. मौके पर जैप डीजी सह एसीबी चीफ नीरज सिन्हा, डीजी मुख्यालय पीआरके नायडू, एडीजी अभियान मुरारी लाल मीणा, सीआइडी आइजी रंजीत कुमार प्रसाद, डीआइजी देवेंद्र ठाकुर, प्रभारी स्टेट फायर अफसर आरके ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.

आदिवासी बहुल क्षेत्रों में टीओपी खोले जायें

- अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने सिटी एसपी को ज्ञापन दिया

रांची. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद रांची शाखा के प्रतिनिधिमंडल ने नगर पुलिस अधीक्षक सुजाता वीणापाणि से मुलाकात की और आदिवासियों के खिलाफ बढ़ते आपराधिक घटनाओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया. ज्ञापन में घाघरा में हुई तीन हत्याएं, जगन्नाथपुर के लापता बच्चे आदि के मामलों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पुलिस टीओपी खोले जायें और इन क्षेत्रों में पुलिस अधिक से अधिक पेट्रोलिंग करे. रांची महानगर मे शराबबंदी करायी जाये, ताकि आपरधिक घटना में कमी आये. सभी घटनाओं के प्रभावित परिवारों को प्रशासन की ओर से मुआवजा दिया जाये. आदिवासियों की लगातार हत्या पर अंकुश लगे. प्रतिनिधिमंडल में परिषद के रांची जिला के कार्यकारी अध्यक्ष कुंदरसी मुंडा, पवन तिर्की, बासुदेव भगत, राहुल तिर्की, प्रकाश मुंडा, सुनीता मुंडा, कुमारी तिर्की व अन्य शामिल थे.

लापता महिला नगड़ी से बरामद

- दोनों पक्षों ने शिकायत करने से किया इनकार

रांची. अरगोड़ा थाना क्षेत्र से जिस महिला के लापता होने के बाद गुरुवार की सुबह दो भाइयों के अपहरण की बात सामने आयी थी, उस महिला को अरगोड़ा थाना की पुलिस ने नगड़ी इलाके से बरामद कर लिया है. बरामद करने के बाद पुलिस ने महिला से पूछताछ की. लेकिन महिला ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया. इसके बाद दोनों पक्ष के लोग अरगोड़ा थाना में बिना शिकायत दर्ज कराये वहां से चले गये. उल्लेखनीय है कि गुरुवार को संजीत कुमार सिंह और आदित्य सिंह उर्फ विक्की के अपहरण की सूचना अरगोड़ा थाना की पुलिस को मिली थी. पुलिस ने दोनों को नगड़ी थाना क्षेत्र स्थित पुष्पांजलि होटल से बरामद कर लिया था. मामले में तीन संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था. जांच के बाद पुलिस को यह पता चला कि चेतन टोली निवासी जत्रु उरांव की पत्नी लापता हो गयी थी. जत्रु को संदेह था कि उसकी पत्नी को आदित्य गाड़ी में बैठा कर कहीं छोड़ आया है. इसलिए वह अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए दोनों भाई पर दबाव बनाने के लिए उन्हें अपने साथ नगड़ी ले गया था. लेकिन महिला के नहीं मिलने से पुलिस मामले की जांच कर रही थी. महिला को भी पुलिस ने शुक्रवार की रात बरामद कर लिया था.

अवैध हथियार के आरोपी को सात साल की सजा

रांची. एजेसी एसके शशि की अदालत ने अवैध पिस्तौल के साथ पकड़ाये अभियुक्त विक्रम डोम को सात साल जेल की सजा सुनायी है. अभियुक्त पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. विक्रम डोम को पुलिस ने नाइन एमएम की पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया था. साथ ही उसके पास से तीन जिंदा कारतूस और दो खोखा भी बरामद किया था. मामले में रातू थाना में कांड संख्या 221/17 दिनांक 7/12/17 के तहत मामला दर्ज कराया गया था. इस वाद में अभियोजन की ओर से सात गवाही करायी गयी थी.

सुनील कुमार वर्णवाल की गवाही दर्ज

रांची. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत में जेपीएससी प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति घोटाला मामले में शुक्रवार को मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल की गवाही दर्ज हुई. उन्होंने ही पूर्व में इस मामले में आरोपी 15 शिक्षकों पर मुकदमा चलाने की अनुमति सीबीआई को दी थी. आज गवाही के दौरान अदालत में उन्होंने अभियोजन स्वीकृति दस्तावेज को चिह्नित किया. मामले में 28 मार्च 2018 को जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, डॉ शांति देवी, सदस्य राधा गोविंद सिंह नागेश, एलिस उषा रानी, धीरज कुमार सहित 21 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था. सीबीआई की ओर से मामले में दूसरे गवाह के रूप में श्री वर्णवाल की गवाही दर्ज की गयी. बचाव पक्ष की ओर से आरोपी राधा गोविंद नागेश ने ही पैरवी की.

आरोपियों को नहीं मिली जमानत

- क्लोन चेक से पैसा निकालने का मामला

रांची. प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने फर्जीवाड़ा कर पैसे की निकासी करने के मामले में तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी. जिनकी जमानत याचिका खारिज हुई है, उनमें पंडरा निवासी रवि कुमार यादव, पलामू के चैनपुर निवासी संतोष कुमार चौरसिया और मांडर निवासी संजय उरांव शामिल हैं. इन पर क्लोन चेक एवं जाली हस्ताक्षर के जरिये 9.80 लाख रुपये की निकासी करने का आरोप है. सभी 30 नवंबर 2018 से जेल में बंद हैं और ट्रायल फेस कर रहे हैं. लोक अभियोजक गोरखनाथ दुबे ने जानकारी दी कि तीनों के खिलाफ मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिला है, जिसके आधार पर अदालत ने याचिका खारिज की. इस मामले को लेकर लाइन टैंक रोड निवासी चंद्रकांत कुमार ने कोतवाली थाना में 27 नवंबर 2018 को प्राथमिकी (कांड संख्या 308/18) दर्ज करायी थी.

चोरी की स्कूटी के साथ दो नाबालिग गिरफ्तार

रांची. सदर थाना की पुलिस ने स्कूटी चोरी करने के आरोप में दो नाबालिग को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके पास से चोरी की एक स्कूटी भी बरामद की है. पुलिस दोनों से चोरी की अन्य घटनाओं के बारे में पूछताछ कर रही है. दोनों ने आरंभिक पूछताछ में बताया कि उन्हें स्कूटी चलाने का शौक था, इसलिए उन्होंने स्कूटी की चोरी की थी.

आठ साल पुराना वारंटी गिरफ्तार

रांची. हिंदपीढ़ी पुलिस ने खेत मुहल्ला निवासी मंगा नामक अपराधी को गिरफ्तार किया है. आठ साल पहले 2011 में उसने एक चोरी की थी, उस चोरी में उसका नाम आया था. उसी समय हिंदपीढ़ी पुलिस ने उसका वारंट ले लिया था, लेकिन वह इधर-उधर भागता रहा. वर्तमान में हिंदपीढ़ी पुलिस ने उसका लाल (स्थायी) वारंट कोर्ट से लिया और उसके पीछे अपने गुप्तचर लगा दिये. गुप्तचर ने पुलिस को बताया कि वह घर आया हुआ है. इस सूचना पर पुलिस उसके घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया.

परिवारवालों पर प्रताड़ना की शिकायत

रांची. सदर थाना में शुक्रवार को राजीव कुमार झा ने अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शिकायत की है. उन्होंने प्रताड़ित करने का आरोप अपने प्रोफेसर भाई राकेश कुमार झा और उनकी पत्नी पर लगाया है.

मेन रोड में मोबाइल चोर पकड़ाया

रांची. अलबर्ट एक्का चौक के समीप से कोतवाली पुलिस ने किशोर (आठ वर्ष) मोबाइल चोर को पकड़ा. वह कर्बला चौक में छोटा-मोटा काम करता है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि उस किशोर से मोबाइल चोर गिरोह का सरगना हमेशा मिलता है. पुलिस उसके जरिये मोबाइल चोर गिरोह के सरगना को पकड़ने का प्रयास कर रही है.